प्रेस नोट दिनांक 12.05.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना– सांगीपुर, जनपद– प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस की मुठभेड़ में थाना लीलापुर के मुकदमे में वांछित एवं 01 दर्जन मुकदमों में संलिप्त शातिर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, अवैध असलहा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग के दौरान प्रभावी कार्यवाही।
संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल/गिरफ्तार।
अभियुक्त रामआधार तिवारी थाना लीलापुर के मुकदमे में वांछित था तथा उसके विरुद्ध लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।
अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी व मोटरसाइकिल बरामद।
घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी सांगीपुर भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.05.2026 को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।

आज दिनांक 11.05.2026 को थाना सांगीपुर के थानाध्यक्ष गौरव त्रिवेदी मय हमराह पुलिस बल द्वारा अमावा बॉर्डर थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान लालगंज की ओर से हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल से एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास करने पर उक्त व्यक्ति मोटरसाइकिल को तेज गति से भगाने लगा।

संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तथा अन्य पुलिस टीमों को घेराबंदी हेतु सूचित किया गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किए जाने पर अभियुक्त मोटरसाइकिल से गिर गया तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई।

पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम रामआधार तिवारी पुत्र लालजी तिवारी उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम लेहरा थाना सोरांव जनपद प्रयागराज, हाल पता ग्राम बोझी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ बताया। अभियुक्त थाना लीलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2026 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित चल रहा था।

बरामदगी -

अभियुक्त रामआधार तिवारी के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, ₹1160/- नकद तथा मौके से 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो रंग काला नं0 UP72AS2856 बरामद हुई। संबंधित को उचित माध्यम से सूचना दे दी गई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी सांगीपुर भेजा गया है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर कानून-व्यवस्था सामान्य है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त—

रामआधार तिवारी पुत्र लालजी तिवारी निवासी ग्राम लेहरा थाना सोरांव जनपद प्रयागराज, हाल पता ग्राम बोझी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

01 अदद तमंचा .315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

₹1160/- नकद

01 अदद मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो नं0 UP72AS2856

आपराधिक इतिहास—रामआधार तिवारी पुत्र लालजी तिवारी निवासी ग्राम लेहरा थाना सोरांव जनपद प्रयागराज, हाल पता ग्राम बोझी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

1. मु0अ0सं0 562/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 34/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 336/2019 धारा 392/411 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 343/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 588/2006 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 281/2006 धारा 392/411 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 132/2008 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 419 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0 204/2007 थाना सिविल लाइन्स प्रयागराज।
9. मु0अ0सं0 80/2009 धारा 328/406 भादवि थाना घूरपुर प्रयागराज।
10. मु0अ0सं0 475/2008 थाना सोरांव प्रयागराज।
11. मु0अ0सं0 53/2003 धारा 120B/382 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0 89/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम—
थानाध्यक्ष गौरव त्रिवेदी मय हमराह का0 विष्णु शर्मा, रि0का0 संतोष दुबे, रि0म0का0 सौम्या सिंह, रि0म0का0 काजल सिंह मय सरकारी वाहन यूपी72जी0334 मय चालक का0 देवेन्द्र सिंह।
उ0नि0 रोहित कुमार, उ0नि0 अतुल तिवारी, उ0नि0 आकाश शुक्ला, उ0नि0 सुमित सिंह, का0 नरेश कुमार, का0 योगेश कुमार, का0 बौद्ध प्रकाश।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह का0 प्रवीण कुमार व का0 राहुल सिंह द्वारा मु0नं0 673/2007 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त अरविन्द कुमार सिंह पुत्र अवधनारायण सिंह निवासी भदोही थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 42 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अरविन्द कुमार सिंह पुत्र अवधनारायण सिंह निवासी भदोही थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 42 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह का0 प्रवीण कुमार व का0 राहुल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा "अपहरण" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अतुल पटेल को गिरफ्तार किया गया-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत भिटारा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री

करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह रि0म0का0 खुशबू यादव व रि0का0 शिवम उपाध्याय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 111/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अतुल पटेल पुत्र संतोष पटेल नि० ग्राम साहू की चरही महमदपुर भाव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 18 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत भिटारा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अतुल पटेल पुत्र संतोष पटेल नि० ग्राम साहू की चरही महमदपुर भाव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 18 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह रि0म0का0 खुशबू यादव व रि0का0 शिवम उपाध्याय थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा "हत्या के प्रयास" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त रोमित को 01 अदद चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को गंगा एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 11.05.2026 को वादी निवासी बरबन का पूरा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने वादी के पुत्र को गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। जिसके संबंध में थाना बाघराय पर मु0अ0सं0-114/26 धारा 115 (2), 352, 351 (3), 109 (1) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय उ0नि0 देवी दयाल वर्मा मय हमराह रि0म0का0 खुशबू यादव व रि0का0 शिवम उपाध्याय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की

चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-114/26 धारा 115 (2), 352, 351 (3), 109 (1) बीएनएस से संबंधित 01अभियुक्त रोमित पुत्र विजय गौतम निवासी ग्राम बरबन का पुरवा मजरे शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रोमित पुत्र विजय गौतम निवासी ग्राम बरबन का पुरवा मजरे शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी- 01 अदद चाकू बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय उ0नि0 देवी दयाल वर्मा मय हमराह रि0म0का0 खुशबू यादव व रि0का0 शिवम उपाध्याय थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 04 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 01 अभियुक्त गिरीश मिश्रा को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे कालोनी पानी टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह का० मो0 आरिफ, का० विलास यादव, का0 सोनवीर सिंह, का0 अंकित प्रजापति द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे कालोनी पानी टंकी के पास से 01 अभियुक्त गिरीश मिश्रा पुत्र अखिलेश मिश्रा निवासी अरविन्द नगर देवकली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त गिरीश मिश्रा के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0- 283/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. गिरीश मिश्रा पुत्र अखिलेश मिश्रा निवासी अरविन्द नगर देवकली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0- 1083/2018 धारा 147/148/286/308/323/504/506 भा0द0सं0 थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0- 0478/2025 धारा 296 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0- 0500/2025 धारा 21/8 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह का0 मो0 आरिफ, का0 विलास यादव, का0 सोनवीर सिंह, का0 अंकित प्रजापति थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा "दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट" के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त सनीश को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर स0पु0अ0 श्री मो0 आफताब आलम (परिवीक्षाधीन) के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 श्री अजीत यादव , उ0नि0 घनश्याम यादव , का0 अनिल कुमार, का0 रवि कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 61(2)/115(2)/70(2)/351(2) बीएनएस व 5g/6 पाक्सो एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्त, 1.सनीश पुत्र शिवशंकर यादव

निवासी पूरे बढ़ई मौजा पेड़रिया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत पेडरिया से भंवरी जाने वाली सडक पर प्रधान के घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सनीश पुत्र शिवशंकर यादव निवासी पूरे बढ़ई मौजा पेड़रिया थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 श्री अजीत यादव , उ0नि0 घनश्याम यादव , का0 अनिल कुमार, का0 रवि कुमार थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा " आत्महत्या के लिए उकसाना" के अभियोग से संबंधित 25,000/- रुपये का ईनामिया 01 वांछित अभियुक्त मो0 अनारुल गिरफ्तार-

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत नरवल तिराहे के पास से ईनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम पूरे तिला भगत का पुरवा मजरे मंगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ में अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी के भाई को प्रताड़ित एवं आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में थाना उदयपुर में मु0अ0सं0 89/26 धारा 108 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर स0पु0अ0 श्री मो0 आफताब आलम (परिवीक्षाधीन) के नेतृत्व में थाना उदयपुर उ0नि0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 श्री अजीत यादव, उ0नि0 घनश्याम यादव, का0 अनिल कुमार, रि0का0 आशुतोष कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 89/26 धारा 108 बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 25,000/- रुपये का ईनामिया अभियुक्त मो0 अनारुल पुत्र मो0 राजू चिकवा उर्फ ऐनुल हक निवासी ग्राम रेहुआलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत नरवल तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 अनारुल पुत्र मो0 राजू चिकवा उर्फ ऐनुल हक निवासी ग्राम रेहुआलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, उ0नि0 श्री अजीत यादव, उ0नि0 घनश्याम यादव, का0 अनिल कुमार, रि0का0 आशुतोष कुमार यादव थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 ज्ञानचंद तिवारी मय हमराह राहुल यादव द्वारा मु0अ0सं0 411/ 97 धारा 323, 325,504,506 आईपीसी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ से सम्बन्धित 01 वारंटी रामसुंदर पुत्र घेराउ निवासी गोसाई का पुरवा अमावा थाना लालगंज प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामसुंदर पुत्र घेराउ निवासी गोसाई का पुरवा अमावा थाना लालगंज प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 ज्ञानचंद तिवारी मय हमराह राहुल यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।